कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः– 2330/25 बजट (प्रतिकर भुगतान–रा0से0)/2018–19 दिनांकः– 11.02.2019

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,
लो0नि0वि0, नई टिहरी/पौड़ी।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–5054 (पूँजीगत) सड़क/भवन एवं सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू–अर्जन तथा क्षति प्रतिकर भुगतान हेतु आवंटन।

सन्दर्भः शासनादेश संख्या–1502/III (2)/18–02 (बजट)/2018 दिनांक–09.04.2018

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–505404337040024 (पूँजीगत) सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मद में ₹ 30.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा फील्ड अधिकारियो के द्वारा विभिन्न प्रकरणो में भू–अर्जन, भूमि प्रतिकर भुगतान तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान हेतु सूचित धनावंटन की मॉग के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संलग्न सूचीनुसार (8 प्रकरणों में) प्रकरणवार/खण्डवार कुल ₹ 2.2824104 करोड़ (₹ दो करोड़ अठ्ाईस लाख चौबीस हजार एक सौ चार मात्र) की धनराशि निम्नवर्णित शर्तो के अन्तर्गत आबंटित की जाती है।

<u>आबंटन की शर्तें</u> (1) संलग्न सूचीनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ के द्वारा प्रतिकर/मुआवजे/फसल/फलदार वृक्षों की क्षतिप्रतिकर का भुगतान, जिलाधिकारी/उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सम्बन्धित पक्षों को दिनांक 20.03.2019 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा, आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षों को किये जाने से पूर्व भूमि स्वामित्व व निर्धारित दरों आदि का भली–भॉति जॉच व परीक्षण सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

<u>(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ के द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित भू–अर्जन/भूमि प्रतिकर/क्षति प्रतिकर धनराशि का भुगतान, सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों के पक्ष में नियमानुसार एवं अविलम्ब न किये जाने की स्थिति में यदि सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों द्वारा संशोधित दरों अर्थात बढ़ी हुई दरों के आधार पर प्रतिकर भुगतान की मॉग की जाती है तो संशोधित वृद्वि हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णतः उत्तरदायी मानें जायेंगे।</u>

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ के द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवंटित धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित कार्यो/मार्गो के मूल आगणन में सम्मिलित नही था और न हीं उक्त प्रतिकर भुगतान हेतु किसी अन्य योजना/मद में सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान के लिये वित्तीय उपलब्धता थी।

(4) आवंटित धनराशि का निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने, धनराशि लैप्स किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान, दरों से अधिक भुगतान तथा नियमविरूद्व किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(5) संलग्न सूचीनुसार वर्णित कार्य वर्तमान में किन्ही कारणों से अन्यत्र खण्ड में हस्तान्तरित हो गये हो अथवा इन कार्यो में प्रतिकर का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो तो आवंटित धनराशि पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(7) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्नः कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (1 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0–सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/नई टिहरी/चमोली/पौड़ी/पिथौरागढ़।
4– वित्त नियत्रंक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख–सीमा जारी करने हेतु।
5– अधीक्षण अभियन्ता आठवॉ/बारहवॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग नई टिहरी/पौड़ी।
6– वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, (नोडल, वनभूमि प्रकरण/भूमि अध्याप्ति) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून ।
7– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग नई टिहरी/नरेन्द्रनगर/पौड़ी।
8– आई0टी0 सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन बेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्नः कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (1 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

I.T
uploading
14.02.19
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्र संख्या 2330/25 बजट (प्रतिकर भुगतान–रा0से0)/2018–19 दिनांक 11/02/2019 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में सड़कों तथा सेतुओ के भूमि प्रतिकर, भू–अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु आवंटन।

अनुदान संख्या– 22, लेखाशीर्षक 5054–04–337–04–00–24 (पूँजीगत) (धनराशि लाख ₹ में)

क0 सं0	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत पिलानीधार जाखणी से धार दुगडा मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 0 से 4 किमी0) से प्रभावित काश्तकारों का क्षतिप्रतिकर भुगतान।	प्रा0ख0 नई टिहरी	अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉं वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 7736/161 (1) सी0–8/18 दि0 16.01.2019	15.22	15.22
2	जनपद टिरी गढ़वाल के अन्तर्गत काण्डीखाल–टिपरी मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (लम्बाई 6 से 15 किमी0) से प्रभावित काश्तकारों का क्षतिप्रतिकर भुगतान।	प्रा0ख0 नई टिहरी	अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉं वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 108/161 (1) सी0–8/19 दि0 23.01.2019	95.62	95.62
	योग, प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी			**110.84**	**110.84**
3	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत डाबरखाल–कुण्ड–रानीचौरा मोटर मार्ग से चिडयाली तक मोटर मार्ग का भूमि/क्षतिप्रतिकर भुगतान। (लम्बाई 2 किमी0)	नि0ख0 नरेन्द्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉं वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 181/161 (3) सी0–8/2019 दि0 29.01.2019	14.74	14.74
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रणाकोट–जामरी मोटर मार्ग का भूमि/क्षतिप्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 नरेन्द्रनगर		3.98	3.98
5	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत आगराखाल–आगर– भिगार्की मोटर मार्ग का भूमि/क्षतिप्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 नरेन्द्रनगर		3.74	3.74
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जाजल–गजा–देवप्रयाग राज्य मार्ग संख्या–31 के किमी0 45 से ग्राम गुरियाली व ग्राम पालकोट मोटर मार्ग का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 नरेन्द्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉं वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 25/161 (3) सी0–8/2019 दि0 16.01.2019	8.29	8.29
	योग, निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर			**30.75**	**30.75**
7	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा में कुण्जखाल–तिलखोली–जजेड़ी मोटर मार्ग निर्माण के अध्याप्त भूमि का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 पौड़ी	अधीक्षण अभियन्ता, बारहवॉं वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी का पत्र संख्या 6106/265 याता–12/18 दि0 02.01.2019	33.89274	33.89274
8	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा में घुंघटि्या–पुल–जयखाल मोटर मार्ग निर्माण के अध्याप्त भूमि का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 पौड़ी	अधीक्षण अभियन्ता, बारहवॉं वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी का पत्र संख्या 15/1107याता–12/18 दि0 03.01.2019	52.75830	52.75830
	योग, निर्माण खण्ड पौड़ी			**86.65104**	**86.65104**
	कुलयोग:– (क0सं0 1 से 8 तक)			**228.24104**	**228.24104**

अब आवंटित धनराशि: ₹ दो करोड़ अठ्ठाईस लाख चौबीस हजार एक सौ चार मात्र।

25 बजट शीट–3 दिनांक 08.02.2019

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)